"सहकारी बैंकों की कानून व्यवस्था"

डॉ0 राजबीर सिंह*

सहकारी बैंक एक प्रकार की सूक्ष्म ऋण प्रदान करने की संस्था है जो कि आपसी सहयोग एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्थापित की जाती है अथवा सहकारी बैंक से आशय शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लघु ऋण प्रदान करने वाली संस्था से है। सहकारी बैंक का प्राथमिक लाभ अधिकतम लाभ न होकर न्यूनतम मूल्य पर लघु अथवा सूक्ष्म ऋण प्रदान करना होता है। वर्ष 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के पश्चात् सहकारी बैंकिंग का उदय हुआ और इसका उद्देश्य किसानों, कारीगरों और समाज के अन्य वर्ग के लोगों की मद्द करने एवं बचत को प्रोत्साहित करना था।

सहकारी बैंकों का स्वामित्व एवं नियन्त्रण इसके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है जो लोकतान्त्रिक रूप से निदेशक मण्डल का चुनाव करते हैं तथा सहकारी बैंक, सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किये जाते हैं, ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किये जाते हैं तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के साथ–साथ बैंकिंग कानून अधिनियम 1965 के तहत आते हैं।

भारत में सहकारी बैंकों का वर्गीकरण–

भारत में सहकारी बैंक निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किये जा सकते हैं–

प्रथम, प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ– 01. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ– इनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में होती है एवं यह कृषकों को साख उपलब्ध कराती है। 02. प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समितियाँ– इनकी स्थापना नगर व कस्बों में होती

* डॉ0 राजबीर सिंह, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहराइच, उ0प्र0
ईमेल– rajbirsingh.eco@gmail.com

है एवं ये कारीगरों तथा दुकानदारों को साख उपलब्ध कराती हैं।

द्वितीय, केन्द्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक– 01. वे बैंक जिनमें केवल प्राथमिक समितियों को ही सदस्य बनाया जाता है। 02. वे बैंक जिनमें समितियों के अलावा अन्य व्यक्ति भी सदस्य बन सकते हैं। जिला सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र सम्बन्धित जिला होता है तथा जिले की समस्त सहकारी समितियाँ अनिवार्य रूप से इसकी सदस्य होती हैं।

तृतीय, राज्य सहकारी बैंक– ये सहकारी साख संगठन की सर्वोच्च संस्था होती है तथा राज्य भर में फैले हुए समस्त जिला सहकारी बैंकों का नियन्त्रण करती है।

चतुर्थ, भूमि विकास बैंक– यह कृषकों की भूमि को बंधक रखकर कृषि विकास कार्यक्रमों के लिये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है।

सहकारी समितियों के गठन के लिए दस अथवा दस से अधिक लोग मिलकर एक संगठन बनाकर इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इनके पंजीकरण अथवा रजिस्ट्रेशन के बाद सदस्यों के प्रवेश एवं निष्कासन का समिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सहकारी समिति में सदस्य मतदान के माध्यम से एक प्रबन्ध समिति का चयन करते हैं, जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है।

सहकारी बैंकों ने भारत में लघु अथवा सूक्ष्म ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को गैर संस्थागत ऋण के स्रोतों के शोषण से मुक्त कराने में विशेष योगदान दिया है तथा संगठन एवं सहयोग की भावना को विकसित करने का कार्य किया है।

——0——

* डॉ0 राजबीर सिंह, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहराइच, उ0प्र0
ईमेल– rajbirsingh.eco@gmail.com